न्यूज ब्रीफ

जल जीवन मिशन 20 एजेंसियों को चेतावनी, 5 को नोटिस तथा दो एजेंसी का अनुबंध निरस्त

दुर्ग। जिले में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग अंतर्गत संचालित कार्यों की समीक्षा उपरांत जल जीवन मिशन के कार्य में रूचि न लेने एवं समानुपातिक प्रगति न दे पाने वाले 20 एजेन्सियों को अंतिम चेतावनी दी गई है। दो एजेन्सी (मेसर्स श्री राम ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स दुर्ग, मेसर्स गगन ट्रेडर्स, बेमेतरा) का अनुबंध निरस्त किया गया। दोनों एजेन्सियों को ब्लैक लिस्ट कर भविष्य में जल जीवन मिशन के कार्यों में भाग लेने हेतु प्रतिबंधित किया गया है। कार्यपालन अंर्ता उत्कर्ष पाण्डेय से मिली जानकारी अनुसार समूह जल प्रदाय योजना के कार्यों में रूचि न लेने वाले 05 एजेन्सियों को नोटिस जारी किया गया है तथा उनके आगामी समयावृद्धि प्रकरण में अर्थदण्ड लगाये जाने का निर्णय लिया गया है।

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में पोर्टल पर परिवर्तन संबंधी ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित

कवर्धा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार की प्रधानमंत्री विश्वकर्मा अनुभाग द्वारा पीएमवी पोर्टल में हुए परिवर्तन के संबंध में ऑनलाईन प्रशिक्षण 18 दिसंबर 2024 को आयोजित किया गया। उक्त प्रशिक्षण में जानकारी दिया गया कि ऐसे आवेदक, हितग्राही जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत् आवेदन कर चुके हैं वे अपनी अद्यतन व निजी जानकारी (नाम, पता, बैंक संबंधी) में परिवर्तन, सुधार पोर्टल पर एप्लीकेशन के माध्यम से कर सकते है।

आरईएस विभाग को लेकर बढ़ रही नाराजगी, सरपंचों में आक्रोश

एसडीओ के काम को लेकर पनप रहा लोगों में असंतोष

समवेत शिखर संवाददाता

साजा। साजा जनपद अंतर्गत आरईएस विभाग के एसडीओ के खिलाफ लामबंद हो रहे अनेक सरपंचों ने अब विरोध में मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है, जो हां ज्ञात सूत्रों के हवाले से खबर है कि विभाग प्रमुख बिना पैसों के कोई पहल छूते तक नही है,जिन सरपंचों के पास पैसे नहीं या तय परसेंटेज से कम रकम है उनकी बात नही सुनी जा रही है। पंचायत सचिवों ने भी उक्त अधिकारी के खराब व्यवहार को लेकर नाराजगी व्यक्त कर चुके है,सचिवों का कहना है कि अधिकारी उन्हें किसी मामले में अभद्र टिप्पणी या व्यवहार नही कर सकते।

कमीशन का चक्कर है बाबू भैया : साजा आरईएस विभाग में फिल्मी कहावत सही होते नजर आ रही है,जनपद के अनेक ग्राम पंचायत के सरपंचो ने हमसे चर्चा में बताया है कि कार्य एजेंसी होने के नाते वे अपना काम खुद से करवाते है,लाखो रुपए अपने जेब से लगाकर कार्य पूर्ण कराया है लेकिन बिल लगने की बारी आने पर कार्यालय में बाबू और इंजिनियर से लेकर विभाग प्रमुख तक भी मगरमच्छें की तरह मुंह

फाड़े खड़े नजर आते है,कार्य पूर्ण करने में लाखो रुपए खर्च करने के बाद भी इनका कमीशन टेबल पर ना रख दो तब तक बिल लगने की आप सोच भी नही सकते, सरपंच ने अपने मौखिक बयान में बताया है कि आरईएस में इंजिनियर से लेकर एसडीओ तक कमीशन का खेल चल रहा है मूल्यांकन के लिए कुल स्वीकृत राशि का इंजिनियर साहब को 5 प्रतिशत तो फहल सत्यापन के लिए एसडीओ साहब को 2 प्रतिशत नियम स्वरूप तय कर दिया गया है।

ऐसे अधिकारी के होते सरपंची को अभिशाप बताया

अनेक मामले में आरोपों से घिरते नजर आ रहे अधिकारी अब लोगो की आंखों की किरकिरी साबित होने लगे है,एक अन्य मामले में बीजेपी एल से समर्थित एक ग्राम के सरपंच ने कहा है कि उसके द्वारा किए गए ग्राम विकास के कार्यो के भुगतान हेतु पहुल को बिना रकम चढ़ावा चढ़े आगे नही बढ़ाई गई,पैसों की व्यवस्था के बाद मामले को आगे ले जाकर रोक दिया गया है,पिछले 6 माह से चक्कर काटने वाले जनप्रतिनिधि ने सरपंच बनने को अभिशाप बताया है और कहा है कि ऐसे भ्रष्टाचारियों के लिए कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए।

महीनों बीत जाने पर बिल नही लगाया जाता

जिला पंचायत के अलावा जिला कलेक्टर और संभागीय अधिकारी के बाद राज्य स्तर पर शिकायत करने का मन बना चुके सरपंचों ने अपनी आपबीती बताई,सरपंच के बताए अनुसार एक मामले में उनके द्वारा पूर्ण कार्य के बावजूद काम का बहाना करके इंजिनियर ने कई महीनों तक मूल्यांकन नही किया,कार्य पूर्ण होने के 4 महीने बाद मूल्यांकन के लिए जाने वाले इंजिनियर को एसडीओ का संरक्षण प्राप्त था,एसडीओ को मोटी रकम खर्च करने के बाद बिल लगाया गया उक्त मामले में खासी नाराजगी जताते हुए सरपंच द्वय अब अपने संघ और फिर उच्च कार्यालय में उक्त इंजिनियर और अधिकारी के विरुद्ध शिकायत की जा रही है।

शिवनाथ महोत्सव में संगीतमय कार्यक्रम सुनहरे पल का आयोजन आज

दुर्ग। 1 जनवरी बुधवार को शिवनाथ महोत्सव में महमरा घाट शिव मंदिर के सामने शहरवासियों के मनोरंजन हेतु प्रातः 11 बजे से शाम 5 बजे तक संगीतमय कार्यक्रम सुनहरे पल का आयोजन रखा गया है। जिसमें गीतों एवं भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी। छत्तीसगढ़ मंच दुर्ग के अध्यक्ष ईश्वर सिंह राजपूत, सचिव तुलसी सोनी एवं उपाध्यक्ष दिनेश जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि आयोजक वरुण जोशी द्वारा आयोजित शिवनाथ महोत्सव में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी छत्तीसगढ़ मंच दुर्ग के गायक कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। जिसमें फिल्मी गीत एवं भजन की प्रस्तुति छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध गायिका पूर्वा श्रीवास्तव, पुष्पांजलि हिरवानी, श्रीला दलाल, कार्तिका तिवारी, जया भारद्वाज, जसवंती रमैया, मोहन चौहान, तुलसी सोनी, हरीश सोनी, गुलाब चौहान, जिलोक सोनी, रमन सिंह,युनुस चौहान, टी डी सिन्हा,नेहल जैन,तरुण देसमुख के अलावा शहर के अन्य गायक कलाकार अपनी देंगे।

न्यायालय नायब तहसीलदार गोबरा नवापारा के न्यायालय में मामला क्रमांक:
202412114800039
विषय: क-121 मामले की क्षेत्री-राजस्व
सन:- 2024-2025
परगांव (चार्ज. 00022)
पक्षकारों का विवरण- आवेदक पक्षकार- बलराज ध्रुव
अनावेदक पक्षकार- छ.ग. शासन

// ईश्तहार//

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक बलराज ध्रुव पिता इंदरमन ध्रुव निवासी ग्राम तर्रा पोस्ट सुरसाबांधा तहसील राजिम जिला गरियाबंद के द्वारा आवेदन पेश किया गया है कि ग्राम परगांव पहनं. 22 रा.नि.मं. नवापारा तहसील गोबरा नवापारा जिला रायपुर छ.ग. स्थित भूमि खसरा नंबर 339/1, 339/2 रकबा क्रमशः 0.16, 0.09 हे. भूमि आवेदक के नाम पर दर्ज है। उक्त भूमि की ऋण पुस्तिका दिनांक 01.11.2024 को गुम हो जाने के कारण ऋण पुस्तिका की द्वितीय प्रति प्रदान करने हेतु आवेदन पेश किया गया है। जिसकी सुनवाई दिनांक 14.01.2025 को नियत की गई है।

इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो आप अपने अधिवक्ता/ अभिकृत व्यक्ति या स्वयं के द्वारा, नियत दिनांक के पूर्व दावा आपत्ति पेश कर सकते है, बाद में आये दावा/आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 09.12.2024 को जारी किया जाता है।

मुहर — तहसीलदार गोबरा नवापारा

कार्यालय, नगर पालिका परिषद दल्लीराजहरा, जिला बालोद (छ.ग.)
क्रमांक/1986/राजस्व/न.पा./2024-25
दल्लीराजहरा, दिनांक 31/12/2024

// ईश्तहार //

नगर पालिका अधिनियम 1961 के अंतर्गत नामांतरण (नगर पालिका अभिलेख में नाम परिवर्तन का 100 रुपये के स्टाम्प पेपर में विक्रय इकरारनामा पत्र) हेतु निकाय क्षेत्रांतर्गत वार्ड क्रमांक 24 रानी लक्ष्मी बाई वार्ड लक्ष्मी कम्प्यूटर के पास दल्लीराजहरा राजस्व भूमि पर स्थित मत्लबा/टट्टनवर पक्का/आवास/व्यवसाय 2000 वर्गफीट जमीन पर निर्मित है। निकाय की कामेश्वर साव पिता स्व. नथुनी साव है। क्रेता श्रीमती सुनीता गुप्ता पति श्री अशोक गुप्ता है। निकाय का नाम काटकर क्रेता का नाम संपत्तिकर/समेकितकर सर्वे पंजी/मांग पंजी में दर्ज किया जाना है। उक्त संबंध में किसी भी व्यक्ति को दावा या आपत्ति प्रस्तुत करना चाहते है तो प्रकाशन दिनांक से 15 दिन के भीतर इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात किसी व्यक्ति द्वारा दावा आपत्ति मान्य नहीं होगा।

मुहर — मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद दल्लीराजहरा

कार्यालय, नगर पालिका परिषद दल्लीराजहरा, जिला बालोद (छ.ग.)
क्रमांक/1984/राजस्व/न.पा./2024-25
दल्लीराजहरा, दिनांक 31/12/2024

// ईश्तहार //

नगर पालिका अधिनियम 1961 के अंतर्गत नामांतरण (नगर पालिका अभिलेख में नाम परिवर्तन का 50 रुपये के स्टाम्प पेपर में सहमति प्रमाण पत्र के आधार पर) हेतु निकाय क्षेत्रांतर्गत वार्ड क्रमांक 15 निगेगेरी नगर वार्ड दल्लीराजहरा कार्बिजा राजस्व भूमि पर स्थित मत्लबा/टट्टनवर 650 वर्गफीट पक्का सेट आवास निर्मित है। सहमति प्रमाण पत्र देने वाला श्री रामभोलिन निर्मलकर पिता रंजीत सिंह का नाम काटकर उनके पोता हितेश कुमार पिता दयाल सिंह के नाम पर संपत्तिकर/समेकितकर सर्वे पंजी/मांग पंजी में दर्ज किया जाना है। उक्त संबंध में किसी भी व्यक्ति को दावा या आपत्ति प्रस्तुत करना चाहते है तो प्रकाशन दिनांक से 15 दिन के भीतर इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात किसी व्यक्ति द्वारा दावा आपत्ति मान्य नहीं होगा।

मुहर — मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद दल्लीराजहरा

कार्यालय, नगर पालिका परिषद दल्लीराजहरा, जिला बालोद (छ.ग.)
क्रमांक/1988/राजस्व/न.पा./2024-25
दल्लीराजहरा, दिनांक 31/12/2024

// ईश्तहार //

नगर पालिका अधिनियम 1961 के अंतर्गत नामांतरण (नगर पालिका अभिलेख में नाम परिवर्तन का 50 रुपये के स्टाम्प पेपर में सहमति प्रमाण पत्र के आधार पर) हेतु निकाय क्षेत्रांतर्गत वार्ड क्रमांक 15 निगेगेरी नगर वार्ड दल्लीराजहरा कार्बिजा राजस्व भूमि पर स्थित मत्लबा/टट्टनवर 650 वर्गफीट पक्का सेट आवास निर्मित है। सहमति प्रमाण पत्र देने वाला श्री रामभोलिन निर्मलकर पिता रंजीत सिंह का नाम काटकर उनके पोता हितेश कुमार पिता दयाल सिंह के नाम पर संपत्तिकर/समेकितकर सर्वे पंजी/मांग पंजी में दर्ज किया जाना है। उक्त संबंध में किसी भी व्यक्ति को दावा या आपत्ति प्रस्तुत करना चाहते है तो प्रकाशन दिनांक से 15 दिन के भीतर इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात किसी व्यक्ति द्वारा दावा आपत्ति मान्य नहीं होगा।

मुहर — मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद दल्लीराजहरा

न्यायालय तहसीलदार अभनपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

// ईश्तहार//

ग्राम अभनपुर
रा.प्र.क्र. 2024121105000059 अ/121
वर्ष 2024-25

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक शोभेन खान पिता भो. रामैश खान निवासी वार्ड नं. 08 अभनपुर तहसील अभनपुर जिला रायपुर छ.ग. द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र (इंडस्ट्रीयल) प्रदाय करने आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ शपथ पत्र आय प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया है।

उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति/संस्था/समूह को कोई दावा आपत्ति हो तो वे अपना दावा आपत्ति आवेदन इस न्यायालय में नियत पेशी तारीख 15/01/2025 तक न्यायालयीन समय में स्वतः अथवा अपने वैध अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर पेश कर सकते है, नियत तारीख के बाद प्राप्त आपत्ति आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से आज दिनांक 24/12/2024 को जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार अभनपुर

न्यायालय तहसीलदार राजिम, जिला-गरियाबंद (छ.ग.)

// ईश्तहार //

रा.प्र.क्र. 2024122205001 25 अ/121 वर्ष 2024-2025, ग्राम राजिम

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्रीमती सरोज देवांगन पिता बोहुराम जाति कोष्टा निवासी ग्राम राजिम तहसील राजिम जिला गरियाबंद के द्वारा मृतक अनुसूचीय जाति पति बोहुराम की मृत्यु दिनांक 01/01/1997 को होने बताया गया है। मृतु प्रमाण पत्र बनवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है जो न्यायालय में विचाराधीन है।

उक्त के संबंध में जिस किसी व्यक्ति/संस्था/समूह को आवेदन प्रस्तुत करना हो तो स्वतः या अपने अभिभाषक के माध्यम से दिनांक 06/01/2025 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। तत्पश्चात प्राप्त आपत्ति या उक्त दावा पर विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 23/12/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की सील मुद्रा से जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार राजिम

न्यायालय नायब तहसीलदार गोबरा नवापारा के न्यायालय में मामला क्रमांक:
202412114800027
विषय: अ-6 मामले की क्षेत्री-राजस्व
सन:- 2024-2025
तोरला (चार्ज. 00006)
पक्षकारों का विवरण- आवेदक पक्षकार- रोहित कुमार, श्रमन लाल उर्फ झुमुक लाल
अनावेदक पक्षकार- मिलन

// ईश्तहार//

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक रोहित कुमार सोनवानी पिता श्री खुनुराम सोनवानी निवासी ग्राम तोरला द्वारा आवेदन पत्र वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण करने बाबत आवेदन पेश किया है कि ग्राम तोरला नं. 06 रा.नि.मं. तोरला तहसील गोबरा नवापारा जिला रायपुर स्थित भूमि ख.नं. 72, 1546, 1550 रकबा क्रमशः 0.02, 0.05, 0.10 हे. भूमि आवेदक के दादा- मिलन सोनवानी पिता हिरामन सोनवानी के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। उक्त आवेदित भूमि को भूमिस्वामी द्वारा आवेदक एवं उनके भाई- उदय कुमार सोनवानी, श्रमन लाल उर्फ झुमुक लाल मिसान खुराना के पक्ष में पंजीकृत वसीयतनामा को निष्पादन दिनांक 02.04.2008 को किया गया है। भूमिस्वामी/वसीयतकर्ता- मिलन सोनवानी पिता हिरामन सोनवानी की मृत्यु दिनांक 03.05.2014 को हो चुकी है, जिसके कारण आवेदक उक्त आवेदित भूमि को वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण किये जाने बाबत आवेदन पेश करने से आकस्तोई भूईंयां नामांतरण पंजी में आ.डी. सीरिज के माध्यम से दर्ज किया गया। प्रकरण में सक्षम का विषय एवं विवाद किसी संभावना होने से विधिवत सुनवाई हेतु प्रकरण ई-कोर्ट में दर्ज किया गया। जिसकी सुनवाई इस न्यायालय में दिनांक 06.01.2024 को नियत है।

उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो आप अपने अधिवक्ता/अभिकृत व्यक्ति या स्वयं के द्वारा, नियत दिनांक के पूर्व दावा आपत्ति पेश कर सकते है, बाद में आये दावा/आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 20.12.2024 को जारी किया जाता है।

मुहर — नायब तहसीलदार गोबरा नवापारा

न्यायालय तहसीलदार राजिम, जिला-गरियाबंद (छ.ग.)

// ईश्तहार //

रा.प्र.क्र. 2024122205001 24 अ/121 वर्ष 2024-2025, ग्राम राजिम

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्रीमती सरोज देवांगन पिता बोहुराम जाति कोष्टा निवासी ग्राम राजिम तहसील राजिम जिला गरियाबंद के द्वारा मृतक अनुसूचीय जाति पति बोहुराम की मृत्यु दिनांक 01/01/1997 को होने बताया गया है। मृतु प्रमाण पत्र बनवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है जो न्यायालय में विचाराधीन है।

उक्त के संबंध में जिस किसी व्यक्ति/संस्था/समूह को आवेदन प्रस्तुत करना हो तो स्वतः या अपने अभिभाषक के माध्यम से दिनांक 06/01/2025 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। तत्पश्चात प्राप्त आपत्ति या उक्त दावा पर विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 23/12/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की सील मुद्रा से जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार राजिम

न्यायालय नायब तहसीलदार गोबरा नवापारा के न्यायालय में मामला क्रमांक:
202412114800029
विषय: क-121 मामले की क्षेत्री-राजस्व
सन:- 2024-2025
चोंड़ पहनं. 36 (चार्ज. 00008)
पक्षकारों का विवरण- आवेदक पक्षकार- उमाशंकर साहू
अनावेदक पक्षकार- छ.ग. शासन

// ईश्तहार//

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक उमाशंकर साहू पिता देवरा राम साहू निवासी ग्राम चोंड़ द्वारा आवेदन पत्र वारसे प्रमाण पुस्तिका प्रदान करने बाबत आवेदन पेश किया है कि ग्राम चोंड़ पहनं. 08 रा.नि.मं. तोरला तहसील गोबरा नवापारा जिला रायपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 1088/2, 2030 रकबा क्रमशः 0.20, 0.41 हे. भूमि आवेदक के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज है। उक्त आवेदित भूमि का ऋण पुस्तिका जारी किया गया था, जो बस स्टैण्ड नवापारा में कहीं गुम हो गया है, जिसके कारण ऋण पुस्तिका की द्वितीय प्रति प्रदान करने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसकी सुनवाई इस न्यायालय में दिनांक 06.01.2025 को नियत है।

उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो आप अपने अधिवक्ता/अभिकृत व्यक्ति या स्वयं के द्वारा, नियत दिनांक के पूर्व दावा आपत्ति पेश कर सकते है, बाद में आये दावा/आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 20.12.2024 को जारी किया जाता है।

मुहर — नायब तहसीलदार गोबरा नवापारा

कार्यालय नगर पालिका परिषद, भाटापारा, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)
क्रमांक/ 1305/लो.नि.वि./ न.पा.प./ 2024-25 भाटापारा, दिनांक 31.12.2024

|| मैन्यूवल निविदा सूचना ||

नगर पालिका परिषद भाटापारा द्वारा अधोहस्ताक्षर /14वें वित्त आयोग मद अंतर्गत छ.ग. शासन में एकीकृत पंजीयन प्रणाली में पंजीकृत सक्षम श्रेणी के ठेकेदारों से 02 कार्यो के लिए लागत राशि रू. 8.29+19.83=28.12 लाख हेतु जी लिफाफा पद्धति से प्रपत्र 'अ' में मुहरबंद निविदाएं स्पीड पोस्ट/ पंजीकृत डाक के माध्यम से निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा आमंत्रण की विस्तृत जानकारी नगर पालिका परिषद भाटापारा पोर्टल के लिंक निर्माण शाखा से प्राप्त की जा सकती है एवं विभागीय वेबसाईट www.Uad.cg.gov.in पर देखी एवं डाउनलोड की जा सकती है। समय सारणी निम्नानुसार है:-

1. निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि — 13.01.2025 समय सायं: 05.00 बजे तक
2. निविदा प्रपत्र प्रपत्र करने की अंतिम तिथि — 14.01.2025 समय सायं: 05.00 बजे तक
3. निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि — 30.01.2025 समय दोपहर 03.00 बजे तक
4. निविदा प्रपत्र खोलने की अंतिम तिथि — 31.01.2025 समय सायं: 04.00 बजे

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद भाटापारा

कार्यालय, नगर पालिका परिषद दल्लीराजहरा, जिला बालोद (छ.ग.)
क्रमांक/ 1987/राजस्व/न.पा./2024-25
दल्लीराजहरा, दिनांक 31/12/2024

// ईश्तहार //

नगर पालिका अधिनियम 1961 के अंतर्गत नामांतरण (नगर पालिका अभिलेख में नाम परिवर्तन का 100 रुपये के स्टाम्प पेपर में विक्रय इकरारनामा पत्र) हेतु निकाय क्षेत्रांतर्गत वार्ड क्रमांक 24 रानी लक्ष्मी बाई वार्ड लक्ष्मी कम्प्यूटर के पास दल्लीराजहरा राजस्व भूमि पर स्थित मत्लबा/टट्टनवर पक्का/आवास/व्यवसाय 2000 वर्गफीट जमीन पर निर्मित है। निकाय की कामेश्वर साव पिता स्व. नथुनी साव है। क्रेता श्रीमती सुनीता गुप्ता पति श्री अशोक गुप्ता है। निकाय का नाम काटकर क्रेता का नाम संपत्तिकर/समेकितकर सर्वे पंजी/मांग पंजी में दर्ज किया जाना है। उक्त संबंध में किसी भी व्यक्ति को दावा या आपत्ति प्रस्तुत करना चाहते है तो प्रकाशन दिनांक से 15 दिन के भीतर इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात किसी व्यक्ति द्वारा दावा आपत्ति मान्य नहीं होगा।

मुहर — मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद दल्लीराजहरा

न्यायालय नायब तहसीलदार अभनपुर 03 जिला रायपुर (छ.ग.)

// ईश्तहार//

ग्राम केन्द्री पहनं. 16
रा.प्र.क्र. 2024121140000058/ अ-6 (अ)/ वर्ष 2024-25

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता कि आवेदक हरीश साहू पिता स्व. शिव प्रसाद साहू निवासी ग्राम फुन्डहर वार्ड नं. 46 तहसील व जिला रायपुर छ.ग. ग्राम केन्द्री पहनं. 16 रा.नि.मं. केन्द्री तहसील अभनपुर जिला रायपुर छ.ग. स्थित खसरा नं. 66/1 रकबा 0.700 हे. भूमि आफसाईन राजस्व अभिलेख एवं ऋण पुस्तिका क्रमांक 1918930 में ख.नं. हरीश, ना.बा. मनीष, ना.बा. नेहा पिता शिवप्रसाद वली मां भारती, भारती केवा शिवप्रसाद के नाम पर शामिलात खाते में दर्ज है। उक्त भूमि खसरा नं. 66/1 रकबा 0.700 हे. वर्तमान आनलाईन राजस्व अभिलेख में ना.बा. हरीश, ना.बा. मनीष, ना.बा. नेहा पिता शिवप्रसाद वली मां भारती, भारती केवा शिवप्रसाद नाम पर दर्ज नहीं है, जो त्रुटिपूर्ण है तथा वर्तमान में सहखातेदार ना.बा. हरीश, ना.बा. मनीष, ना.बा. नेहा नाबालिग ही चुके हैं। आवेदक द्वारा अनंतराईन राजस्व अभिलेख में त्रुटि सुधार कर एवं सहखातेदार ना.बा. हरीश, ना.बा. मनीष, ना.बा. नेहा का नाम नाबालिग से बालिग किये जाने बाबत आवेदन इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। तत्संबंध इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संबंध में जिस किसी व्यक्ति/संस्था/समूह को कोई दावा आपत्ति हो तो वे अपना दावा आपत्ति आवेदन इस न्यायालय में नियत पेशी तारीख 15.01.2025 तक न्यायालयीन समय में स्वतः अथवा अपने वैध अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर पेश कर सकते है, नियत तारीख के बाद प्राप्त आपत्ति आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा से आज दिनांक 27.12.2024 को जारी किया गया।

मुहर — नायब तहसीलदार अभनपुर

न्यायालय नायब तहसीलदार गोबरा नवापारा के न्यायालय में मामला क्रमांक:
202412114800038
विषय: क-121 मामले की क्षेत्री-राजस्व
सन:- 2024-2025
पहनं. 00024)
पक्षकारों का विवरण- आवेदक पक्षकार- अमित अग्रवाल, अनावेदक पक्षकार- छ.ग. शासन

// ईश्तहार//

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक अमित अग्रवाल पिता श्री सुरेश अग्रवाल निवासी लाखे नगर रायपुर द्वारा अभिलेख दुरुस्त किये जाने बाबत आवेदन पेश किया है कि आवेदक के द्वारा ग्राम धोरभट्टी पहनं. 04 रा.नि.मं. तोरला तहसील गोबरा नवापारा जिला रायपुर स्थित भूमि ख.नं. 338 रकबा 0.58 हे. भूमि पंजीकृत बैनामा के माध्यम से दिनांक 14.02.2008 को खिक्रेता रेशमी देवी आग्रवाल पति नरसिंगलाल आग्रवाल से क्रय कर किया किसी ग्राम आपत्ति के दाखिल कार्यवाह है। विक्रय पत्र के पश्चात आवेदित भूमि का नामांतरण कराया गया, जिसका नामांतरण क्रमांक 217 आदेश दिनांक 02.03.2008 है, जिसके पश्चात आवेदित भूमि का आवेदक के नाम पर ऋण पुस्तिका जारी किया गया है। हल्का पटवारी द्वारा आवेदक के नाम पर ख.नं. 338 रकबा 0.19 दर्ज किया गया है, परंतु आवेदक द्वारा अपनी खरीदी रकबा 0.58 हे. भूमि पर दाखिल कार्यवाह है, जिसके कारण आवेदक पूर्व अभिलेख, रजिस्ट्री बैनामा एवं नामांतरण पंजी के आधार अभिलेख दुरुस्त किये जाने हेतु आवेदन पेश किया है। जिसकी सुनवाई इस न्यायालय में दिनांक 06.01.2025 को नियत है।

उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो आप अपने अधिवक्ता/अभिकृत व्यक्ति या स्वयं के द्वारा, नियत दिनांक के पूर्व दावा आपत्ति पेश कर सकते है, बाद में आये दावा/आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 20.12.2024 को जारी किया जाता है।

मुहर — नायब तहसीलदार गोबरा नवापारा

न्यायालय नायब तहसीलदार गोबरा नवापारा के न्यायालय में मामला क्रमांक:
202412114800030
विषय: क-121 मामले की क्षेत्री-राजस्व
सन:- 2024-2025
धोरभट्टी (चार्ज. 00004)
पक्षकारों का विवरण- आवेदक पक्षकार- विनय सराफ, अनावेदक पक्षकार-

// ईश्तहार//

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक विनय सराफ पिता राधाकिशन सराफ निवासी फूल चौक नवापारा रायपुर द्वारा अभिलेख दुरुस्त किये जाने बाबत आवेदन पेश किया है कि आवेदक के द्वारा ग्राम धोरभट्टी पहनं. 04 रा.नि.मं. तोरला तहसील गोबरा नवापारा जिला रायपुर स्थित भूमि ख.नं. 372 रकबा 0.60 हे. भूमि को खिक्रेता रेशमी देवी आग्रवाल पति नरसिंगलाल आग्रवाल से पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय कर किया किसी ग्राम आपत्ति के दाखिल कार्यवाह है। विक्रय पत्र के पश्चात आवेदित तभूमि का नामांतरण कराया गया, जिसका नामांतरण क्रमांक 216 आदेश दिनांक 19.03.2008 है, जिसके पश्चात आवेदित भूमि का आवेदक के नाम पर ऋण पुस्तिका जारी किया गया है। हल्का पटवारी द्वारा आवेदक के नाम पर ख.नं. 372/2 रकबा 0.55 हे. दर्ज किया गया है, परंतु आवेदक द्वारा अपनी खरीदी रकबा 0.60 हे. भूमि पर दाखिल कार्यवाह है, जिसके कारण आवेदक पूर्व अभिलेख, रजिस्ट्री बैनामा एवं नामांतरण पंजी के आधार अभिलेख दुरुस्त किये जाने हेतु आवेदन पेश किया है। जिसकी सुनवाई इस न्यायालय में दिनांक 06.01.2025 को नियत है।

उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो आप अपने अधिवक्ता/अभिकृत व्यक्ति या स्वयं के द्वारा, नियत दिनांक के पूर्व दावा आपत्ति पेश कर सकते है, बाद में आये दावा/आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 20.12.2024 को जारी किया जाता है।

मुहर — नायब तहसीलदार गोबरा नवापारा

न्यायालय नायब तहसीलदार गोबरा नवापारा के न्यायालय में मामला क्रमांक:
202412114800031
विषय: क-121 मामले की क्षेत्री-राजस्व
सन:- 2024-2025
पहनं. 36 (चार्ज. 00008)
पक्षकारों का विवरण- आवेदक पक्षकार- उमाशंकर साहू
अनावेदक पक्षकार- छ.ग. शासन

// ईश्तहार//

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक उमाशंकर साहू पिता देवरा राम साहू निवासी ग्राम चोंड़ द्वारा आवेदन पत्र वारसे प्रमाण पुस्तिका प्रदान करने बाबत आवेदन पेश किया है कि ग्राम चोंड़ पहनं. 08 रा.नि.मं. तोरला तहसील गोबरा नवापारा जिला रायपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 1088/2, 2030 रकबा क्रमशः 0.20, 0.41 हे. भूमि आवेदक के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज है। उक्त आवेदित भूमि का ऋण पुस्तिका जारी किया गया था, जो बस स्टैण्ड नवापारा में कहीं गुम हो गया है, जिसके कारण ऋण पुस्तिका की द्वितीय प्रति प्रदान करने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसकी सुनवाई इस न्यायालय में दिनांक 06.01.2025 को नियत है।

उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो आप अपने अधिवक्ता/अभिकृत व्यक्ति या स्वयं के द्वारा, नियत दिनांक के पूर्व दावा आपत्ति पेश कर सकते है, बाद में आये दावा/आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 20.12.2024 को जारी किया जाता है।

मुहर — नायब तहसीलदार गोबरा नवापारा

कार्यालय कार्य